न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 166/2022 दायर दिनाँक 05.07.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्रवण कुमार पुत्र दीपाराम, जाति जाट, निवासी भामासी, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 16.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 113/106 रकबा 0.5665 हैक्टर, खसरा संख्या 115/57 रकबा 0.3700 हैक्टर व खसरा संख्या 117/68 रकबा 2.8800 हैक्टर वाके भामासी, पटवार हल्का सिंघाना, तहसील डीडवाना स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी के नाम से दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त खेतो की खातेदारी में वादी श्रवण कुमार का नाम गलती से श्रवणराम दर्ज हो गया, जबकि सही नाम श्रवण कुमार पुत्र दीपाराम जाति जाट, निवासी भामासी, तहसील डीडवाना है। यह गलत अंकन राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ है।

वादी श्रवण कुमार का निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, विशिष्ट पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि सभी दस्तावेजात में श्रवण कुमार पुत्र दीपाराम नाम दर्ज है, जो सही है। सभी दस्तावेजात की नकलें वाद के साथ पेश है। जमाबन्दी में वादी के सही नाम का अंकन श्रवण कुमार पुत्र दीपाराम की बजाय श्रवणराम पुत्र दीपाराम दर्ज हो गया, जबकि सही नाम श्रवण कुमार ही है, वादी अपने गलत नाम के अंकन की दुरूस्ती करवाकर सही नाम का अंकन श्रवणराम की जगह श्रवण कुमार करवाने का जायज व कानूनन हकदार है, अतः वादी को दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। बिनाय दावा हाल ही में पटवारी हल्का के पास सरकारी सहायता लेने हेतु ऋण की फाइल बनवाने के लिये पटवारी हल्का के पास जाने से गलत नाम के अंकन की जानकारी होने से व दिनाॅक 27.06.2022 को अपना खाता से ऑनलाईन जमाबंदी की नकल लेने से अन्दर हदुद अदालत हाजा बमुकाम भामासी पैदा हुआ। दावा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा दावा अन्दर मयाद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की [illegible] बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को [illegible] किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर [illegible] की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनाॅक 22.07.2022 [illegible] दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 113/106 रकबा 0.5665 हैक्टर, खसरा संख्या 115/57 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा संख्या 117/68 रकबा 2.8800 हैक्टर वाके भामासी, तहसील डीडवाना में वादी के गलत नाम के अंकन श्रवणराम की जगह श्रवणकुमार किया जाता है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 166/2022 दायर दिनाँक 05.07.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्रवण कुमार पुत्र दीपाराम, जाति जाट, निवासी भामासी, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 16.08.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 113/106 रकबा 0.5665 हैक्टर, खसरा संख्या 115/57 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा संख्या 117/68 रकबा 2.8800 हैक्टर वाके भामासी, तहसील डीडवाना में वादी के गलत नाम के अंकन श्रवणराम की जगह श्रवणकुमार किया जाता है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner